महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–4780/9–आ–1–99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त नियत प्राधिकारी,**
   विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 1999

विषय :शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों (Persons with disabilities) को सुविधायें प्रदान करने हेतु मानक भवन उपविधि को लागू किया जाना।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अशक्त व्यक्तियों के लिये अवरोधमुक्त परिसर (Barrier free environment) के स जन तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये भारत सरकार द्वारा अशक्त व्यक्तियों हेतु (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुरूप अवरोधमुक्त परिसर के लिये शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक भवन उपविधि तैयार की गयी है, जो सार्वजनिक उपयोग वाले सभी भवनों और सुविधाओं पर लागू होगी। इस उपविधि में अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा सुविधा और प्रयोज्जता मानकों को पूरा करके विभिन्न आशक्तता वर्गों यथा चलने–फिरने, बोलने, सुनने और देखने में कमी से ग्रस्त अशक्त व्यक्तियों की सुगम्यता जरूरतों को ध्यान रखा गया है।

2. विदित है कि वर्तमान में विकास प्राधिकरण भवन उपविधि में सरलीकरण/संशोधन शासन के विचाराधीन है जिसमें शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये प्राविधान शामिल कर लिये गये हैं, परन्तु भवन उपविधियों को अन्तिम रूप देने में समय लगने की सम्भावना है। भारत सरकार द्वारा उक्त उपविधि को लागू करने हेतु लगातार बल दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा अक्टूबर,1999 के द्वितीय सप्ताह में सभी राज्यों के सम्बन्धित सचिवों के साथ बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिसमें इस विषय पर चर्चा होनी है।

3. अतएव शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु तैयार की गयी मानक भवन उपविधि संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इसे प्राधिकरण/परिषद की विद्यमान भवन उपविधियों में समाविष्ट करने हेतु प्राधिकरण/परिषद बोर्ड में प्रस्तुत कर तत्काल अंगीक त/अनुमोदित कराने व तद्नुसार शासन को सूचित करने का कष्ट करें ताकि इसे शीघ्रताशीघ्र राजकीय गजट में

प्रकाशित कराया जा सके। यदि बोर्ड की बैठक में विलम्ब हो तो परिचालन द्वारा अंगीकृत/अनुमोदित कराने की कार्यवाही की जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (छः पृष्ठ)

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या : 4780–1/9–आ–1–99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(2) अध्यक्ष, समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ।
(5) अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु।

संलग्नक : मानक भवन उपविधि।

आज्ञा से,
रामवक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।